



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-21092026-276335
CG-OR-E-21092026-276335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4850]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4850]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

पूर्व तट रेलवे (निर्माण)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 10 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना

का.आ. 5040(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर तापंग (TAP)- निराकारपुर (NKP) स्टेशनों के बीच KM 474/17-19 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 213 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) तहसीलदार, खुर्दा को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर तापंग (TAP)- निराकारपुर (NKP) स्टेशनों के बीच KM 474/17-19 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 213 के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20घ की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में “खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर तापंग (TAP)- निराकारपुर (NKP) स्टेशनों के बीच KM 474/17-19 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 213 का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न है।

जिले का नाम:- खुर्दा

(अनुलग्नक1)

भूमि अनुसूची						
परियोजना का नाम:-आर.ओ.बी-213 का निर्माण						
जिले का नाम:- खुर्दा, प्रभाग का नाम:-खुर्दा रोड, तहसीलदार:- खुर्दा						
क्रम सं.	गाँव का नाम	प्लॉट संख्या	भूमि का किसम	कुल क्षेत्रफल (एकड़) में	अधिग्रहित जमीन (एकड़) में	भूमि का प्रकार
1	भगवान पुर	416	शरद 3	0.470	0.180	व्यक्तिगत
2	भगवान पुर	430	शरद 3	0.285	0.029	व्यक्तिगत
3	भगवान पुर	421	सड़क	0.525	0.143	सरकारी
4	भगवान पुर	418	शरद 3	0.070	0.046	व्यक्तिगत
5	भगवान पुर	417	शरद 3	0.030	0.030	व्यक्तिगत
6	भगवान पुर	419	शरद 2	4.850	0.004	व्यक्तिगत
7	कंचीलो	298	गोदंडा	2.185	1.086	सरकारी
8	कंचीलो	379	शरद 3	8.850	0.095	व्यक्तिगत
9	कंचीलो	300	तालाब	0.095	0.023	सरकारी
10	कंचीलो	299	पुरातन पत्तित	0.055	0.038	सरकारी
11	कंचीलो	544	शरद 3	1.605	0.453	व्यक्तिगत
12	कंचीलो	475	शरद 3	0.490	0.027	व्यक्तिगत
13	कंचीलो	469	शरद 3	0.275	0.240	व्यक्तिगत
14	कंचीलो	476	शरद 2	0.740	0.295	व्यक्तिगत
15	कंचीलो	514	शरद 3	0.425	0.084	व्यक्तिगत

16	कंचीलो	468	गोदंडा	0.670	0.104	सरकारी
17	कंचीलो	515	शरद 2	0.590	0.123	व्यक्तिगत
18	कंचीलो	516	शरद 3	0.240	0.063	व्यक्तिगत
19	कंचीलो	517	शरद 3	1.410	0.358	व्यक्तिगत
20	कंचीलो	518	शरद 2	0.485	0.147	व्यक्तिगत
21	कंचीलो	532	नयनजोडी	1.095	0.066	सरकारी
22	कंचीलो	533	रेल लाइन	0.625	0.038	सरकारी
23	कंचीलो	546	नयनजोडी	0.715	0.036	सरकारी
24	कंचीलो	534	नयनजोडी	0.475	0.041	सरकारी
25	कंचीलो	545	शरद 3	0.540	0.178	व्यक्तिगत
26	कंचीलो	540	गोदंडा	0.615	0.154	सरकारी
27	कंचीलो	543	शरद 3	1.135	0.027	व्यक्तिगत
28	कंचीलो	541	श्मशान	0.280	0.046	सरकारी
29	कंचीलो	470	शरद 3	0.220	0.008	व्यक्तिगत
TOTAL					4.162	

[फा. सं. सीएओ/सीओएन/आरएसपी/बीबीएस/2026/आरओबी संख्या 213/20A]

महेंद्र पिताला, मुख्य अभियंता(निर्माण -III)

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Coast Railway)****NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 10th September, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-1989

S.O. 5040(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment)Act,1989(24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned L.C.NO-213 at KM.474/17-19 between Stations Tapang(TAP)-Nirakarpur(NKP) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division.” in Khurda district of Odisha state, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition(CALA) & Tahasildar, Khurda for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO-213 at KM.474/17-19 between Stations Tapang(TAP)-Nirakarpur(NKP) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely "Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO-213 at KM.474/17-19 between Stations Tapang(TAP)-Nirakarpur(NKP) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division" in Khurda district of Odisha State.

Name of District:-Khurda

Annexure-I

LAND SCHEDULE						
Name of the Project:- Construction of ROB-213						
Name of the District:-Khurda, Name of the Division:-Khurda Rd., Name of the Tahasil:-Khurda						
Sl. No.	NAME OF Mouza	PLOT No.	Classification of Land	Total area in Acres	Required Area in ACRES	Type of Land
1	Bhagabanpur	416	Sarad 3	0.470	0.180	Pvt.
2	Bhagabanpur	430	Sarad 3	0.285	0.029	Pvt.
3	Bhagabanpur	421	Road	0.525	0.143	Govt.
4	Bhagabanpur	418	Sarad 3	0.070	0.046	Pvt.
5	Bhagabanpur	417	Sarad 3	0.030	0.030	Pvt.
6	Bhagabanpur	419	Sarad 2	4.850	0.004	Pvt.
7	Kanchilo	298	Godanda	2.185	1.086	Govt.
8	Kanchilo	379	Sarad 3	8.850	0.095	Pvt.
9	Kanchilo	300	Pokhari	0.095	0.023	Govt.
10	Kanchilo	299	Puratana Patita	0.055	0.038	Govt.
11	Kanchilo	544	Sarad 3	1.605	0.453	Pvt.
12	Kanchilo	475	Sarad 3	0.490	0.027	Pvt.
13	Kanchilo	469	Sarad 3	0.275	0.240	Pvt.
14	Kanchilo	476	Sarad 2	0.740	0.295	Pvt.
15	Kanchilo	514	Sarad 3	0.425	0.084	Pvt.
16	Kanchilo	468	Godanda	0.670	0.104	Govt.
17	Kanchilo	515	Sarad 2	0.590	0.123	Pvt.
18	Kanchilo	516	Sarad 3	0.240	0.063	Pvt.
19	Kanchilo	517	Sarad 3	1.410	0.358	Pvt.
20	Kanchilo	518	Sarad 2	0.485	0.147	Pvt.
21	Kanchilo	532	Nayanjori	1.095	0.066	Govt.
22	Kanchilo	533	Rail Line	0.625	0.038	Govt.
23	Kanchilo	546	Nayanjori	0.715	0.036	Govt.
24	Kanchilo	534	Nayanjori	0.475	0.041	Govt.
25	Kanchilo	545	Sarad 3	0.540	0.178	Pvt.
26	Kanchilo	540	Godanda	0.615	0.154	Govt.
27	Kanchilo	543	Sarad 3	1.135	0.027	Pvt.
28	Kanchilo	541	Smashan	0.280	0.046	Govt.
29	Kanchilo	470	Sarad 3	0.220	0.008	Pvt.
TOTAL					4.162	

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2026/ROB No.213/20A/]

MAHENDER PITTALA, Chief Engineer (Con-III)